भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

16.09.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 686 का उत्तर

लॉकडाउन के कारण राजस्व की क्षति

686. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः
श्री पी. सी. गद्दीगौदरः
श्री राहुल रमेश शेवालेः
श्री धनुष एम. कुमारः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सु. थिरुनवुक्करासरः
श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लॉकडाउन के दौरान यात्री रेलगाड़ियां कितने दिनों तक निलंबित रहीं तथा अनलॉक अवधि के दौरान उनका प्रचालन कब आरंभ हुआ तथा उस अवधि के दौरान रेलवे को कुल कितना नुकसान हुआ एवं टिकटों को रद्द किए जाने के कारण रेलवे द्वारा यात्रियों को कुल कितनी राशि वापस की गई;

(ख) क्या कम संख्या में यात्री रेलगाड़ी चलाए जाने से राजस्व का भारी घाटा हुआ है और यदि हां, तो अनुमानित हानि कितनी है;

(ग) क्या रेलवे देश में रेल सेवा को पूरी तरह से बहाल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत वर्ष की तुलना में माल ढुलाई राजस्व में भी भारी गिरावट हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या रेलवे माल ढुलाई राजस्व में वृद्धि के लिए अपनी माल ढुलाई नीति को सरल बनाने के लिए कार्य कर रही है; और

(च) यात्री राजस्व तथा माल ढुलाई राजस्व में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लॉकडाउन के कारण राजस्व की क्षति के संबंध में दिनांक 16.09.2020 को लोक सभा में श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील, श्री सी. एन. अन्नादुरई, श्री पी. सी. गद्दीगौदर, श्री राहुल रमेश शेवाले, श्री धनुष एम. कुमार, श्री असादुद्दीन ओवैसी, श्री सु. थिरुनवुक्करासर और श्री वी. के. श्रीकंदन के अतारांकित प्रश्न संख्या 686 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): कोविड-19 वैश्विक महामारी पर अंकुश लगाने के लिए, 23.03.2020 से भारतीय रेल ने सभी नियमित यात्री गाड़ी सेवाओं को बंद कर दिया था। 39 दिनों तक बंद रहने के बाद, यात्री गाड़ी सेवाओं का परिचालन, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार 01.05.2020 से श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चलाकर शुरू किया गया।

राज्य सरकारों की सलाह व चिंता, भारतीय रेलों ने विशेष गाड़ियों के रूप में, यात्री गाड़ियों का क्रमशः परिचालन शुरू किया है -

i. 12.05.2020 से 15 जोड़ी राजधानी स्पेशल शुरू की गई थीं।

ii. 01.06.2020 से 100 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां शुरू की गई थीं।

iii. 12.09.2020 से 43 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां शुरू की गई थीं।

iv. 705 उपनगरीय सेवाएं (मध्य रेलवे-355 और पश्चिम रेलवे-350) 15.06.2020 से शुरू की गई थीं।

लॉकडाउन के कारण रद्द की गई नियमित समय सारणी वाली गाड़ियों में 22.03.2020 से 12.08.2020 तक यात्रा अवधि के लिए 14 अप्रैल, 2020 तक बुक किए गए टिकटों को रद्द करने के कारण 10.09.2020 तक की गई धन वापसी की कुल राशि लगभग 3371.50 करोड़ रुपये थी।

अगस्त 2020 के अंत तक, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में, प्रारंभिक यात्रियों की संख्या 1.27% रही है और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में, माल ढुलाई 86.6% रही है।

परिणामस्वरूप, रेलों की अगस्त 2020 के अंत तक, यातायात राजस्व 41844.31 करोड़ रु. रहा है, जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में, 42.3% घटा है।

(घ): अगस्त, 2020 और अगस्त 2019 के अंत में माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व इस प्रकार है:

	अगस्त, 2020	अगस्त 2019
माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व	39648.02 करोड़ रु.	46433.37 करोड़ रु.

(ड.) और (च): जी हां। भारतीय रेल ने माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व को बढ़ावा देने के लिए माल ढुलाई नीति को सरल बनाने के लिए बड़ी संख्या में कदम उठाए हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान माल यातायात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं

i) **22.03.2020 से 17.05.2020 तक विलंब शुल्क, घाट शुल्क और अन्य आनुषंगिक शुल्क लगाने से छूट ताकि माल ढुलाई वाले ग्राहकों को सुविधा और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए रसद सहायता मिल सके।**

ii) **फ्रेट फॉरवर्डर्स, लोहा व इस्पात, लौह अयस्क और नमक यातायात के मामले में ई-आरडी और ईटी-आरआर की सुविधा का विस्तार।**

iii) **24.03.2020 से 08.05.2020 तक खाली कंटेनरों और खाली फ्लैटों की आवाजाही के लिए कर्षण प्रभार का न वसूलना।**

iv) **28.08.2020 से इंटर जोनल और इंट्रा जोनल यातायात, दोनों के लिए 600 किमी की मिनी रेक के लिए दूरी प्रतिबंध को बढ़ाकर कुछ नियमों और शर्तों के साथ 1500 किमी से अधिक किया गया।**

v) आवश्यक खाद्य मदों के लदान में सहूलियत के उद्देश्य से गाड़ी लदान लाभ के लिए लदान किए जाने वाले बीसीएनएचएल रेक में माल डिब्बों की न्यूनतम संख्या को 57 से घटाकर 42 माल डिब्बा कर दिया गया है।

vi) 04.08.2020 से 30.04.2021 तक लोडेड कंटेनरों की आवाजाही के लिए कर्षण प्रभार पर 5% छूट दी गई है।

vii) 05.08.2020 से "औद्योगिक उपयोग के लिए लवण" का वर्गीकरण श्रेणी-120 से घटाकर श्रेणी-100 ए कर दिया गया है।

viii) 03.08.2020 से फ्लाई ऐश की माल ढुलाई दर पर कुछ नियम और शर्तों के साथ 40% छूट दी गई है जब इसे खुले और फ्लैट माल डिब्बा में ले जाया जाता है।

ix) लंबी गमन दूरी रियायत: कोयला और कोक पर 1400 किमी से अधिक विभिन्न दूरियों के लिए, लौह और इस्पात पर 1600 किमी से अधिक और लौह अयस्क पर 700 किमी से अधिक दूरी के लिए एनटीआर पर भव्य 15-20% छूट।

x) कम गमन दूरी रियायत को फिर से शुरू करना: रेलवे को कम गमन दूरी वाले यातायात को आकर्षित करने के लिए, कोयला और कोक, लौह अयस्क, आरएमसी और सैन्य यातायात को छोड़कर सभी पण्यों के मूल माल भाड़ा दर पर ग्रेड-वार रियायत प्रदान की गई है ।

दूरी स्लैब	माल भाड़ा रियायत
0-50 किमी	50%
51-75 किमी	25%
76-90 किमी	10%
91-100 किमी	शून्य

राउंड-ट्रिप ट्रैफिक (आरटीटी): राउंड ट्रिप ट्रैफिक बाहरी और वापसी दिशा दोनों में लदान किए गए रेकों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करता है अर्थात् दोतरफा यातायात। इस योजना के तहत लौह अयस्क, पीओएल, कंटेनर और कम दर वाले पण्यों को छोड़कर सभी पण्यों की अनुमति है।

(xi) कोटि-3 के तहत विशेष मालगाड़ी ऑपरेटर (एसएफटीओ) और रेलवे के स्वामित्व वाले माल डिब्बों में ऑटोमोबाइल यातायात के लिए दो प्वाइंट उतराई की अनुमति दी गई है।

(xii) ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर (एएफटीओ) रेकों को 31.10.2020 तक स्टेबलिंग प्रभार के भुगतान से छूट दी गई है।

(xiii) सामान्य उद्देश्य माल डिब्बा निवेश योजना (जीपीडब्ल्यूआईएस) के तहत रेकों के परिचालन की अनुमति देने के लिए एंप्टी रिटर्न रेशो (ईआरआर) की अवधारणा को बंद कर दिया गया है। सर्किट में खाली रेक की आवाजाही पर कोई माल भाड़ा नहीं लिया जाएगा। पार्टी को "के साथ" या "के बिना" वार्षिक सीमा के साथ माल भाड़ा रियायत चुनने की छूट दी गई है। जेपीओ ने माल भाड़े में छूट देने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए औपचारिक रूप दिया।

(xiv) विशेष प्रयोजन और उच्च क्षमता वाले माल डिब्बों के लिए मौजूदा एसएफटीओ और उदारीकृत माल डिब्बा निवेश योजनाओं को मिलाकर उदारीकृत विशेष मालगाड़ी ऑपरेटर (एलएसएफटीओ) नीति शुरू की गई है। कोई पंजीकरण शुल्क नहीं होगा और माल डिब्बों का अनुरक्षण भारतीय रेल द्वारा अपनी लागत पर किया जाएगा। खाली दिशा में कोई माल भाड़ा नहीं लिया जाएगा।

(xv) निजी फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) नीति को और अधिक ग्राहक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। चालू करने से पहले विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा और नोडल अधिकारी निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों की लागत को

युक्तिसंगत बनाया गया है और आवेदन शुल्क को 10 लाख रुपये से घटाकर केवल 20 हजार रुपये कर दिया गया है।

(xvi) निजी साइडिंग नीति को सह-उपयोगकर्ताओं की संख्या पर ऊपरी सीमा को हटाकर उदार बनाया गया है जिसकी अनुमति दी जा सकती है ।

(xvii) बांग्लादेश को निर्यात के लिए ऑटोमोबाइल यातायात और पार्सल यातायात खोला गया।

(xviii) पार्सल यातायात की संभलाई के लिए सभी माल शेड, पीएफटी, निजी साइडिंग खोले गए।

(xix) विभिन्न मार्गों पर कम डिब्बों वाली पार्सल स्पेशल गाड़ियों की समय सारणी शुरू की गई है। 31 अगस्त तक, लगभग 3.16 लाख टन परेषणों का परिवहन करने के लिए 5279 पार्सल विशेष गाड़ियां (समय सारणी वाली 5126 गाड़ियों सहित) चलाई गई हैं।

यात्री आय बढ़ाने के उद्देश्य से, कोविड-19 की स्थिति और सरकार के दिशानिर्देशों के अध्यधीन, भारतीय रेल द्वारा मांग पैटर्न के आधार पर चरणबद्ध तरीके से यात्री गाड़ी सेवाओं की बहाली की गई है। जहां कहीं अपेक्षित हो, अधिभोगिता, कोटा उपयोग, रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा सूची की आवधिक समीक्षा की जाती है और समायोजन किया जाता है। इसके अलावा, यात्री आय बढ़ाने के उपाय एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ।

******